(36 (18)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या :- 06/सी.एम.टी. (वि. प. निवेदन)- 38/2013/परि० -1959/पटना, दिनांक- 24/0

बिहार राज्य के अंतर्गत वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के निबंधन पदाधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 63 के तहत् निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई थी। प्राधिकार पत्र प्राप्त निजी टेस्टिंग स्टेशनों के कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के उपरांत सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि प्राधिकार पत्र प्राप्त निजी टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा निर्गत दुरूस्ती प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग के अधीन पदस्थापित मोटर यान निरीक्षकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा- 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिवहन विभाग के अन्तर्गत पदस्थापित मोटर यान निरीक्षकों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम- 67 के अन्तर्गत प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के द्वारा निर्गत दुरूस्ती प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

'क' पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 730, दिनांक 06.02.2015 की कंडिका 'घ' को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा निर्गत मात्र वही दुरूस्ती प्रमाण-पत्र वैध होंगे, जो मोटर यान निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे। उक्त अधिसूचना की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/11/15

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(77) २५)

ज्ञापांकः 1959 /परि०   पटना, दिनांक– 24/04/15

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा– उप सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय के व्यवहारार्थ कृपया प्रेषित किया जाय।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक– 1959 /परि०   पटना, दिनांक– 24/04/15

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटर यान निरीक्षक/सभी प्राधिकार पत्र धारक, निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार,
पटना।